संख्या– /X–3–12–13(11)/2001

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(287)

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक,
3. सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
4. निदेशक
शहरी विकास विभाग
उत्तराखण्ड।
5. निदेशक
पंचायती राज विभाग
उत्तराखण्ड।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3

देहरादूनः दिनांकः– 23 जुलाई, 2012

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य में पालिथीन बैग को प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आप अवगत हैं कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबन्धन व हस्तन) नियम, 2011 (Plastic Waste Management and Handling Rules, 2011) अधिसूचना संख्या–249(E) दिनांक 04 फरवरी, 2011 द्वारा जारी किए गए हैं, जिसके नियम 5 के निम्न प्राविधान विशेषकर उल्लेखनीय हैं :–

5 (b) No person shall use carry bags made of recycled plastics or compostable plastics for storing, carrying, dispensing or packaging food stuffs;

5(c) No person shall manufacture, stock, distribute or sell any carry bag made of virgin or recycled or compostable plastic, which is less than 40 microns in thickness.

5 (d) Sachets using plastics material shall not be used for storing, packing or selling gutkha, tobacco and pan masala;

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में उपरोक्त प्रतिबन्धों को कड़ाई से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही अन्य प्राविधान भी नियमानुसार लागू होंगे। अतः प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबन्धन व हस्तन) नियम, 2011 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2– इसके अतिरिक्त उक्त नियम की धारा–04 में निम्नवत् प्राविधान हैं :–

The Prescribed Authority means the Authority-

(a) For enforcement of the provisions of these rules related to authorization, manufacture, recycling and disposal shall be State Pollution Control Board and Pullution Control Committee in respect of Union territory;

(b) For enforcement of the provisions of these rules relating to the use, collection, segregation, transportation and disposal of post consumer plastic waste shall be the concerned municipal authority;

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा शहरी विकास विभाग के प्राधिकृत अधिकारी अपनी अधिकारिता के भीतर उपरोक्त प्राविधान/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3– उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त संदर्भित नियम की धारा–11 में State Level Advisory Body के सम्बन्ध में निम्नवत् प्राविधान किये गये हैं:–

(i) There shall be State Level Advisory Body to monitor the implementation of these Rules.

(ii) The State Level Advisory Body shall consist of the following person, namely –

(a)	The Secretary, Department of Urban Development –	Chairman
(b)	One expert form State Department of Environment –	Member
(c)	One expert form State Pollution Control Board or Pollution Control Committee -	Member
(d)	One expert from Urban Local Body –	Member
(e)	One expert form Non-Governmental Organisation –	Member
(f)	One expert from the field of Industry –	Member and
(g)	One expert from the field of academic institution –	Member

(iii) The State Level Advisory Body shall meet at least once in a year and may invite experts, if it considers necessary

इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्राविधान के अनुपालन में शहरी विकास विभाग द्वारा State Level Advisory Body गठित कर प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबन्धन व हस्तन) नियम, 2011 के प्राविधानुसार प्लास्टिक पर प्रतिबन्ध तथा प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबन्धन के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में समीक्षा/अनुश्रवण की कार्यवाही करते हुए वन एवं पर्यावरण विभाग को रिपोर्ट उपलब्ध कराया जायेगा।

4– इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 के प्राविधान उस सीमा तक लागू होंगे, जिस सीमा तक वे भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबन्धन व हस्तन) नियम, 2011 से असंगत न हों।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
मुख्य सचिव

संख्या 368 /X–3–12, तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण, उत्तराखण्ड सरकार।
4. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
9. अपर प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण, उत्तराखण्ड।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र।
13. मीडिया सेंटर, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव